RGICS

RAJIV GANDHI INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES
JAWAHAR BHAWAN, DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001

RGICS BRIEF

नवम्बर 14, 2017

घरेलू कामगार की कार्य दशायें एवं नीतिगत विमर्श

जीत सिंह

भाग–1
परिचय

भारत में आर्थिक मध्यम वर्ग के उदय से पूर्व घरेलू कामगार जमींदारों तथा आर्थिक तथा समाजिक रूप से सम्पन्न घरानों में अपनी सेवायें देते थे। हाल के कुछ दशकों में मध्यम वर्ग के विस्तार तथा बदलते पारिवारिक ढांचों एवं शहरीकरण ने घरेलू कामगारों की मांग बढाई है। गरीब, उपेक्षित व बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों को इस बढ़ती मांग ने एक शहरी रोजगार का विकल्प दिया। इस क्षेत्र में आने वाले अधिकत्तर कामगार बेरोजगारी से मजबूर होकर शहरों में आते हैं। इन कामगारों को विभिन्न घरेलू कार्यों के लिये पूर्णकालिक या अल्पकलिक अवधि के लिए रोजगार मिलता है। उनके कामों व काम करने की स्थितियां न सिर्फ नियोक्ता पर निर्भर करता है बल्कि अलग–अलग क्षेत्रों में प्रचलित सामान्य नियमों पर भी निर्भर करता है। घरेलू कामगारों के कार्यों में साफ–सफाई व खाना पकाने से लेकर परिवार में बच्चों व बूढ़ों की सेवा व देखरेख सम्मलित हैं। अंतराष्ट्रीय मजदूर संघ (आई0एल0ओ0) के ताजा अनुमानों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 67 मिलियन महिला एवं पुरूष घरेलू कामगार हैं, तथा इनमें से 83 प्रतिशत कामगार महिलायें हैं। भारत में इन कामगारों का कोई अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन वर्ष 2004–05 के राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे संगठन (NSSO) के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 4.2 मिलियन घरेलू कामगार थे और उनमें से अधिकतर महिलायें थीं। इस सर्वे के अनुसार महिला कामगार अधिकतर खाना बनाने, सफाई व बच्चों के देख–रेख के कार्यों में संलिप्त हैं।

वर्ष 2004–05 के उपरोक्त सर्वे के अनुसार भारत में कुल कामगारों का लगभग एक प्रतिशत हिस्सा घरेलू कामगारों का है। इसी सर्वे के अनुसार घरेलू काम शहरी भारत में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है। तमाम अनुमानों व अध्ययनों के अनुसार घरेलू कामगारों की संख्या में पिछले दो दशकों में काफी इज़ाफा हुआ है। इसका यह भी अर्थ के कि इस नये शहरी रोजगार के लिए हाल के कुछ दशकों में बड़ी संख्या में गरीब, उपेक्षित व बेरोजगार महिलायें व पुरूष गांवों से पलायन कर शहरों की ओर आये। लेकिन इसके साथ–साथ इन कमजोर कामगारों के साथ उनके कार्य स्थल पर होने वाले शोषण व अत्याचारों के केसों में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। चूंकि केन्द्रीय और राज्य स्तर पर इन कामगारों व उनके कार्य स्थलों से संबंधित कोई भी नियम या कानून नहीं है ऐसे में ये कामगार अपने नियोक्ताओं तथा बिचौलियों की दया पर ही कार्य करते हैं। इन कामगारों को अपने कार्य करने की परिस्थितियां, वेतन, काम के घंटे, छुट्टियां तथा अन्य तमाम मजदूर अधिकारों के बारे में मोल–भाव करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठित व व्यक्तिगत बिचौलिये अक्सर अच्छी नौकरी का झांसा देकर गरीब, अशिक्षित व असहाय ग्रामीणों को शहरों में ले आते हैं, और फिर अपने हिसाब से उनके तमाम मजदूर व मजदूरी से संबंधित निर्णय लेते हैं। सरकार द्वारा इन कामगारों के कामगार अधिकारों का नियमन न करने व कारगर नीतियां न बनाने की वजह से उनके तमाम अधिकारों का नित्य हनन होता है। इस आलेख में इन कामगारों की दयनीय स्थिति में शासकीय नियमनन तथा नीतियों के अभाव का प्रभाव देखने का प्रयास किया गया है।

घरेलू कामगारों का शोषण एवं अत्याचार:

मीडिया में छपी खबरों के अनुसार वर्ष 2013 में लखनऊ के एक चिकित्सक दंपत्ति को अपनी घरेलू कामगार के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार गिया। आरोप है कि वे अपनी 22 वर्षीय नौकरानी के साथ मारपीट करते थे, उसे सिगरेट से जलाते थे और यहां तक कि उसके बाल भी जबरन कटवा दिये थे। इसी प्रकार वर्ष 2012 में उड़ीसा में एक 13 साल की घरेलू नौकरानी के साथ दुर्व्यवाहर करने पर उसके नियोक्ता को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वे लोग उस नौकरानी को मानसिक व शाररिक रूप से प्रताड़ित करते थे, उसे घर से बाहर बिना किसी बिस्तर के सोने को छोड़ दिया जाता था। दिल्ली में एक इसी प्रकार के केस ने वर्ष 2013 में अखबारों की सूर्खियां बटोरी जब

तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद श्री धनंजय सिंह पर अपनी घरेलू नौकरानी को जान से मारने के आरोप लगे। 35 वर्षीय वह घरेलू नौकरानी श्री धनंजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर मृत पायी गयी थी।

हाल ही में दिल्ली से सटे नोयडा सेक्टर 78 में स्थिति मॉर्डन महागुन सोसाईटी में वहां कार्यरत एक महिला कामगार के साथ मार–पीट का केस सामने आया है। नियोक्ता द्वारा किये गये व्यवहार के विरोध में पीड़ित कामगार के परिजन तथा उसके सहयोगियों ने 12 जुलाई 2017 को सुबह हाउसिंग सोसाईटी के गेट पर हंगामा काटा। इस दौरान सोसाइटी के गार्डों ने हवा में गोलिया चलाई जिसके जवाब में प्रर्दशनकारी मजदूरों ने पथराव किया। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन देखने की बात है कि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ सोसाईटी की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर ही एक्शन लिया। इस केस में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार गिया गया, 60 से अधिक घरेलू कामगारों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया। यही नहीं प्रशासन ने कुछ ही दिनों के भीतर उस पूरी बस्ती को उज़ाड़ दिया जहां ये मजदूर रहा करते थे।

उरोक्त केसों की भांति तमाम ऐसे केस हैं जो समय–समय पर अखबारों व टेलीविजन खबरों की सुर्खियां बनती है। जबकी ऐसे तमाम और केस हैं जो न तो मीडिया तक पहुंचते हैं और न ही पुलिस स्टेशन तक। वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखिका सुश्री तृप्ति लहरी (जिन्होंने हाल ही में घरेलू कामगारों के साथ होने वाले अन्याय पर एक किताब लिखी है) के अनुसार इन उपेक्षित व असहाय कामगारों के लिए अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाना कतई आसान नहीं है। आमतौर पर कामगारों का मानना है कि उनके नियोक्ताओं की पहुंच व संबंध पुलिस प्रशासन सहित तमाम सरकारी दफ्तरों में बेहतर है, ऐसे में पुलिस में शिकायत करने से उनकी कोई नहीं सुनेगा[1]। घरेलू कामगारों के साथ होने वाले अत्याचार व अपराध के कोई व्यवस्थित तथा राष्ट्र स्तरीय आंकड़े नहीं हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा एकत्रित निम्न तालिका में प्रस्तुत कुछ आंकड़ों से स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

तालिका संख्या–1

दिल्ली में घरेलू कामगारों के साथ होने वाले अपराधों का विवरण

वर्ष	पुलिस में दर्ज कुल केस	किशोर न्याय के तहत् दर्ज कुल केस	बलात्कार के तहत् दर्ज कुल केस	हत्या तथा हत्या के प्रयास के तहत् दर्ज केस	अपहरण के तहत् दर्ज केस	शारिरक चोट पहुंचाने के तहत् दर्ज केस	अन्य घाराओं के तहत् दर्ज केस
2011	29	12	10	0	2	0	5
2012	58	32	9	1	2	4	10
2013	75	30	22	3	2	3	15

स्रोत– राज्य सभा, तारांकित प्रश्न संख्या 320, 10 फरवरी 2014

दिल्ली जैसे शहर में जहां घरेलू कामगारों की संख्या में बड़ी तेजी से इज़ाफा हो रहा है और लाखों की संख्या में महिलायें व बच्चे इससे अपनी आजीविका चला रही है वहां उनके खिलाफ होने वाले अपराधों का पंजीकरण ना के बराबर है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हालांकि घरेलू कामगारों के साथ होने वाले अपराधों के पंजीकरण में पिछले कुछ सालों में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन वह आज भी नाकाफी है। उपरोक्त तालिका में अधिकत्तर केस जघन्य अपराधों से जुड़े हुए है

[1] Hindustan Times, July 16, 2017: http://www.hindustantimes.com/india-news/overworked-underpaid-abused-inside-the-world-of-india-s-domestic-workers/story-IpmmGUfMxPqM5H1JR6QYCL.html

जैसे किशोर न्याय का उलंघन, बलात्कार तथा हत्या। वहीं दूसरी ओर सामान्य तौर पर की जाने वाली मारपीट, मानसिक प्रताड़ना तथा गाली–गलौज से संबंधित केस ना के बराबर हैं। जबिक इस विषय पर अध्ययन करने वाले तमाम स्कॉलर्स तथा कार्यकर्ताओं के अनुसार इस प्रकार की प्रताड़ना आये दिन होती है।

शाररिक, मानसिक तथा यौनिक प्रताड़नाओं के अलावा ये कामगार आये दिन सामान्य कामगार अधिकारों से भी वंचित रखे जाते हैं। तमाम सरकारी, गैर–सरकारी तथा अकादमिक अध्ययनों ने इन कामगारों के वृहद स्तर पर कामगार अधिकारों के हनन के गंभीर प्रश्न उठाये हैं। इन अधिकारों का हनन उन्हें और अधिक असहाय तथा बहिस्कृत करता है। यह मुश्किल तब और बढ़ जाती हे जब ये कामगार अपने कामगार अधिकारों की हनन् की शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल भारत के तमाम कमागार कानून जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविध अधिनियम, 1961, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 घरेलू कामगारों पर लागू नहीं होते हैं। यही नहीं बल्कि ये तमाम भारतीय कामगार कानून इन मजदूरों को कामगार का दर्जा भी नहीं देते है। जहां एक ओर उपरोक्त तमाम कानून भारत में कामगारों के हितों की रक्षा करते है वहीं दूसरी ओर घरेलू मजदूर इनका सहारा लेकर अपने कामगार अधिकारों के हनन की शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति इन कामगारों को और लाचार और बेबस बना देती है। सामान्यतौर पर मजदूर हितों को लेकर इन कामगारों तथा उनके नियोक्ताओं के बीच होने वाले विवाद शाररिक तथा मानसिक प्रताड़ना में तब्दील हो जाते हैं। 'घरेलू कामगार यूनियन' की सदस्य माया जॉन (2017) के अनुसार अक्सर जब घरेलू कामगार काम छोड़ने की बात कहती, पिछले बकाया मजदूरी की मांग करती या छुट्टी आदि का आवेदन करती है तो उन्हें मना कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी न्योचित मांगों को अक्सर मार–पीट के जरिये दबाया भी जाता है। हमारे कामगार कानूनों द्वारा ठुकराये जाने के बाद घरेलू कामगारों के काम संबंधी निर्णय जैसे काम के घंटे, मजदूरी, छुट्टी या काम के दौरान दी जाने वाली सुविधायें/उपकरण तथा काम से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम आदि सभी निर्णयों का एकाधिकार केवल नियोक्ता परिवारों पर है। नोयडा के माहागुन मॉर्डन सोसाईटी का केस भी कुछ ऐसा ही है। जब किसी कामगार और उसके नियोक्ता के बीच मजदूरी व अन्य सामान्य बातों को लेकर विवाद हुआ तो उसको दबाने के लिए उसके साथ मार–पीट हुई (जॉन, 2017)। नियोक्ता परिवार का यह भी दावा है कि कामगार ने पैसे भी चुराये थे। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण है कि पुलिस को कामगार की मजदूरी व अन्य कामगार हितों को नजरअंदाज करना इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि वे किसी भी कामगार कानून के तहत् उन हितों के लिए शिकायत नहीं कर सकते हैं।

घरेलू कामगारों के कार्य करने की परिस्थितियां:

घरेलू कार्य बड़े शहरों में एक तेजी से बढ़ता हुआ रोजगार है, जिससे लाखों गरीब और उपेक्षित लोगों को आजीविका मिल रही है। इतना बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र होने के बावजूद भी आश्चर्य की बात है कि हमारे पास इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों का सही आंकलन नहीं है। जो कुछ भी आंकड़े इस विषय में उपलब्ध हैं वे अनुमानित है, जो एक–दूसरे से काफी भिन्न भी हैं। NSSO के 61वें चरण के सर्वे के अनुसार वर्ष 2004–05 में लगभग 4.75 मिलियन लोग घरेलू कामगार थे। हालांकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 6.1 मिलियन घरेलू कामगार थे। इन दोनों अनुमानों से इतर कुछ गैर–सरकारी अनुमानों की मानें तो देश में तकरीबन 9 मिलियन लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। हालांकि उपरोक्त आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते हैं लेकिन एक बात तो साफ है कि घरेलू कामगारों की संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है। वर्ष 2010 की केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू कार्य शहरी भारत में महिलाओं को रोजगार

देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो तकरीबन 3.05 मिलियन महिला कामगारों को आजीविका देता है। इस सब के बावजूद भारत में घरेलू कामगारों को कानूनन मजदूर का दर्जा प्राप्त नहीं है।

खासतौर से शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे इस रोजगार क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों की स्थिति बेहद गंभीर है। इन कर्मकारों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, लैंगिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठिभूमि के साथ–साथ उनके कार्य करने के स्थान और उनके कर्मकार हितों को वैधानिक मान्यता न मिलना कुछ चुनिन्दा कारक हैं जो पहले से उपेक्षित और कमजोर कर्मकारों को और कमजोर बनाता है। यही कारक अधिकतर घरेलू कामगारों के साथ होने वाले अन्याय और अपराध को जन्म देता है। चूंकि कर्मकार के कार्य के स्थान व उसकी दशाओं का नियमनन न होने के चलते नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले अधिकतर उत्पीड़न तो कानूनी रूप से भी आपराधिक नहीं हैं। इन कामगारों के कार्य व उसकी दशाओं को लेकर बहुत सारी समस्यायें हैं जिनको अतिशीघ्र देखा जाना चाहिए। उन सभी समस्याओं में से कुछ चुनिंदा समस्यायें निम्नलिखित हैं।

1. **पूर्ण रूप से अनौपचारिक रोजगार–** घरेलू कामगार को निजि घरों द्वारा अनौपचारिक तथा मौखिक बातचीत के जरिये काम पर रखा जाता है। उस बातचीत में तय बातों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है, इसी वजह से नियोक्ता घर व उसके मालिक को धीरे–धीरे अपनी और शर्तें लादने का मौका मिलता है। दूसरी ओर विवाद होने पर कामगार तय अनुबन्ध के अनुसार अपने हक का दावा भी नहीं कर सकता है।

2. **असुरक्षित रोजगार–** हर किसी व्यक्ति को अपने रोजगार की न्यूनतम सुरक्षा का लोभ रहता है, जो होना भी चाहिए। लेकिन घरेलू कामगारों के साथ ऐसा नहीं है, उनकी नौकरी की पल–पल की निरंतरता उनके नियोक्ताओं के हाथ में होती है, जो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि यदि घरेलू कामगार बीमार पड़ जाता है या कुछ दिन की छुट्टी लेता है, तो काम पर वापस आने पर नियोक्ता उसे काम पर रखने से इनकार कर देता है।

3. **असुरक्षित कार्यस्थल–** घरेलू कामागार हालांकि घर की चार दीवारों के अंदर काम करते हैं, जो वैसे तो सुरक्षित होना चाहिए लेकिन यही चहर–दीवारी घरेलू कामगारों के लिए असुरक्षित माहौल पैदा करता है। अक्सर इन्हीं चार दीवारों के भीतर घरेलू कामगारों का शाररिक व यौनिक शोषण होता है, जो बाहर नहीं दिखाई देता है।

4. **काम का अधिक बोझ–** नियोक्ता द्वारा धीरे–धीरे घरेलू कामगार के कार्य को बढ़ाना एक सामान्य बात है। औपचारिक अनुबन्ध न होने के चलते घरेलू कामगारों के कार्य में वृद्धि करना या उनके काम के समय को बढ़ाना एक सामान्य प्रक्रिया बन जाता है।

5. **अनिश्चित कार्य का समय–** जो घरेलू कामगार अपने नियोक्ता के घर पर ही रहते हैं, खासकर उनके कामों के घंटे का कोई हिसाब नहीं होता है। असल में वे 24 घंटे ही काम पर रहते हैं।

6. **छुट्टियां–** सामान्यतौर पर घरेलू कामगारों को छुट्टियों का कोई प्राविधान नहीं है। जब भी वे छुट्टी करेंगे उनका वेतन काटा जायेगा। उनकी छुट्टियां भी नियोक्ता की दया पर निर्भर करता है।

7. **काम के बीच में आराम–** घरेलू कामगारों को कार्य के दौरान आराम की कोई गुंजाईश नहीं है। यदि कोई कामगार आराम की मांग करता है, तो वह नियोक्ता के रहमो करम पर ही निर्भर करता है। काम के दौरान आराम न मिलने कसे अक्सर इन कामगारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है।

8. **व्यावसायिक स्वास्थ्य–** अंतराष्ट्रीय मजदूर संगठन के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा साधनों के अभाव में किया जाने वाला घरेलू काम भी कर्मकारों के जीवन व स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। हालांकि भारत में घरेलू कामकारों की सुरक्षा के लिए इन सब बातों की अनदेखी की जा रही है।

9. **सामाजिक सुरक्षा–** घरेलू कामगारों को पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, उन्हें अपनी आजीविका के लिए तब तक काम करना पड़ता है जब तक उनके शरीर में जान है। इन कामगारों की मजदूरी इतनी कम होती है कि उन्हें भविष्य के लिए बचत करना संभव नहीं है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों की कुछ योजनायें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनायी गयी है, उनका लाभ ले पाना भी इन कर्मकारों के लिए आसान नहीं है। उदाहरण के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से घरेलू कामगारों को आच्छादित करने की योजना बनायी। इस योजना का लाभ लेने के लिए इन कामगारों को इस बात का सबूत देना होता है कि वे घरेलू कामगार हैं। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता जो घरेलू कामगारों के साथ काम करते हैं, उनका कहना है कि नियोक्ता इन लोगों को घरेलू कामगार होने का प्रमाण पत्र देने से अक्सर बचते हैं।

भारत में पिछले कुछ दशकों में घरेलू कामगारों के कार्य व उनकी कार्य करने की दशाओं पर काफी चर्चा हुई है। विभिन्न संगठनों तथा अकादमिक संस्थानों ने इन कामगारों की स्थितियों तथा उनके साथ होने वाले अन्याय को रेखांकित करते हुए उनके कार्य की दशाओं के नियमनन करने तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की वकालत की है। इस सब के बावजूद भी भारत ने आज तक इनके कार्य की दशाओं के नियमनन के लिए कोई व्यापक नीति या कानून नहीं बनाया। वर्ष 2008 में तत्कालीन यू0पी0ए0 सरकार ने भले ही असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 लागू किया लेकिन इन कामगारों द्वारा इस कानून के तहत् अधिसूचित योजनाओं का लाभ लेना आज भी काफी कठिन है। यू0पी0ए0–2 सरकार के दौरान कुछ और बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश हुई थी लेकिन वे अभी तक भी अंजाम तक नहीं पहुंचे। तत्कालीन सरकार ने इन कर्मकारों की दशाओं के नियमनन हेतु सुझाव देने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसके विभिन्न सुझावों को सरकार ने स्वीकार भी किया। इसी टास्क फोर्स ने घरेलू कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की भी शिफारिश की थी। इसी दौरान भारत ने आई0एल0ओ0 के घरेलू कर्मकार संबंधी कन्वेन्सन संख्या 189 पर भी हस्ताक्षर किये। हालांकि ये सभी कार्य आज भी अधूरे है, लाखों घरेलू कामगार इन नियमनन संबंधी प्रस्तावों के साकार होने की प्रतीक्षा में हैं। इस दस्तावेज का अगला भाग घरेलू कामगारों को लेकर भारत में हुए नीतिगत चर्चाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगा।

भाग–2
घरेलू कामगार एवं संबंधित नीतिगत प्रस्ताव

घरेलू कामगारों की स्थितियों को लेकर स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद से ही चर्चायें शुरू होने लगी थी। उस समय भी तमाम शोधार्थियों तथा सामाजिक एवं कामगार अधिकार कार्यकर्ताओं ने घरेलू नौकरों के साथ होने वाले अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें बुनियादी कामगार अधिकार देने की वकालत की थी। इसी दौरान अलग–अलग शहरों में घरेलू कामगारों के कुछ संगठन भी बने। एक अध्ययन के अनुसार भारत में पहला घरेलू कामगार यूनियन – आल इंडिया घरेलू कामगार यूनियन वर्ष 1953 में दिल्ली में बना जिसका बाद में बम्बई तथा कलकत्ता जैसे शहरों में विस्तार हुआ। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 1987 तक भारत में तकरीबन 24 ऐसे विभिन्न संगठन बन गये थे जो घरेलू कामगारों की आवाज को बुलंद कर रहे थे[2]। ये संगठन प्रमुखतया घरेलू कामगारों को कामगार का दर्जा दिलाने तथा बुनियादी कामगार अधिकार दिये जाने की वकालत करते रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आल इंडिया घरेलू कामगार यूनियन की अगुवाई में नवम्बर 1956 तथा मार्च 1959 में दो बड़े धरने दिल्ली में आयोजित किये गये। इन दोनों धरना–प्रदर्शन में हजारों की संख्या में घरेलू कामगारों ने हिस्सा लिया। इन दोनों प्रदर्शनों का संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे कई जनप्रतिनिधियों पर भी खासा प्रभाव पड़ा। इसी के चलते 1959 में घरेलू कामगारों के बुनियादी हितों की रक्षा के लिए दो प्राईवेट मेंम्बर बिल प्रस्तुत किये गये। श्री कन्हैया लाल बालमिकी ने लोकसभा तथा श्री पी0एन0 राजाभोज ने राज्यसभा में घरेलू कामगारों के हितों के पक्ष में प्राईवेट मेंम्बर बिल पेश किया।

घरेलू कामगारों की यूनियनें आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे उन्होंने आज से 6–7 दशक पूर्व शुरू किया था। इस दौरान इन कामगारों की स्थितियों के अध्ययन को लेकर तमाम कमेटियां एवं आयोग बनाये गये। इन कमेटियों तथा आयोगों के अलावा भी अलग–अलग स्तरों पर तमाम नीतिगत प्रस्तावों पर विमर्श हुआ। इन सभी प्रस्तावों में घरेलू कामगारों के बुनियादी कामगार अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकारों को नीतिगत हस्तक्षेप करने की सलाह दी गई। यह भी माना गया कि नीतिगत हस्तक्षेप न होने की वजह से भी अधिकत्तर कामगारों के साथ उत्पीड़न एवं अपराध होते हैं। इस मुद्दे पर हुए व्यापक विमर्श में से कुछ चुनिन्दा प्रयासों का उल्लेख इस भाग में किया जा रहा है।

नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ–एम्पालॉइड वुमेन, 1987
(National Commission On Self-Employed Women, 1987)

सन् 1987 में भारत सरकार ने स्वरोजगार करने वाली महिला कामगारों के काम करने की दशाओं का अध्ययन करने लिए 'नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ–एम्पालॉइड वुमेन' का गठन किया। बाद में इस कमीशन को सभी असंगठित व असुरक्षित भारतीय महिला कामगारों की स्थिति व काम करने की दशाओं के अध्ययन का जिम्मा भी सौंपा गया[3]। कमीशन ने सन् 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें उसने तमाम प्रकार के महिला कामगारों की स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से कुल 350 नीतिगत सुझाव दिये थे। घरेलू कामगारों की दशाओं में बेहतर बदलाव लाने के उद्देश्य से इस कमीशन ने इन कामगारों के पंजीकरण का सुझाव दिया था। इनकी कार्य करने की दशाओं का अध्ययन करने के बाद

---

[2] Armacost Nicola Cunningham, 1994, 'Domestic Workers in India: A Case for Legislative Action', Journal of the Indian Law Institute, Vol 36: I

[3] Sharma Kumud, 'Changing the Term of the Discourse: Gender Equality and the Indian State, CWDS, Pearson, New Delhi

कमीशन ने एक कानून बनाने की वकालत की। इस कानून के जरिये कमीशन ने इन कामगारों के काम करने की दशाओं के नियमनन, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की सुनिश्चितता बनाये रखने का प्रस्ताव रखा था[4]। हालांकि तमाम अन्य सुझावों के साथ यह सुझाव भी अधूरा रहा।

द्वितीय राष्ट्रीय मजदूर आयोग, 2002

(Second National Labour Commission, 2002)

द्वितीय राष्ट्रीय मजदूर आयोग का गठन सन् 1999 में मजदूर कानूनों में सुधार करने तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम सुरक्षा देने हेतु एक व्यापक कानून सुझाने के लिए किया गया था। श्री रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2002 में प्रधानमंत्री को सौंपा। घरेलू कामगारों की दशाओं का अध्ययन करते हुए आयोग ने माना कि ये कामगार शाररिक, मानसिक, आर्थिक तथा यौनिक रूप से अत्यंत असुरक्षित हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अभी ऐसी कोई समाजिक सुरक्षा की योजना नहीं है, जिसका लाभ ये कामगार ले सकते हैं। ये लोग कई घंटे काम करते हैं, और कई प्रकार के काम करते हैं, और इस बीच बहुत कम आराम करने को मिलता है। चूंकि अधिकतर घरेलू कामगार महिलायें व बच्चे हैं, ऐसे में उनका यौनिक शोषण होने के खतरे और बढ़ जाते हैं। इन सब बातों का उल्लेख करते हुए आयोग ने निम्नलिखित नीतिगत प्रस्ताव सुझाये।

1. कमीशन ने घरेलू कामगारों के पंजीकरण हेतु व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
2. कमीशन का सुझाव था कि घरेलू कामगारों को पहचान पत्र जारी किया जाय जिसमें उनके नियोक्ता का विवरण, मजदूरी भुगतान का विवरण, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं आदि का विवरण होना चाहिए।
3. सरकार इन कामगारों के लिए उचित कार्य दशायें, मानवीय व्यवहार तथा स्वीकार्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे।
4. आयोग ने इन कामगारों की कार्य दशाओं, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार की सुरक्षा हेतु कानून बनाने का पुरजोर समर्थन किया।

इस आयोग ने घरेलू कामगारों को अलग से कोई कानून बनाने में रूचि नहीं दिखाई लेकिन सुझाव दिया कि असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों की सुरक्षा के लिए बनाये जाने वाले कानून में घरेलू कामगारों को भी शामिल किया जाय।

नेशनल कमीशन फॉर एन्टरप्राईजेस इन द अन–और्गनाईज्ड सेक्टर, 2007

(National Commission for Enterprises in the Un-organised Sector, 2007)

पूर्ववर्ती य0पी0ए0 सरकार द्वारा गठित 'नेशनल कमीशन फॉर एन्टरप्राईजेस इन द अन–और्गनाईज्ड सेक्टर' (एन0सी0ई0यू0एस0) ने अपनी रिपोर्ट– 'कंडीशन ऑफ वर्क एण्ड प्रमोशन ऑफ लाईवलीहुड इन द अन–और्गनाईज्ड सेक्टर' (Condition of Work and Promotion of Livelihood in the Un-organised Sector) में घरेलू कामगारों की स्थिति को विशेष महत्व दिया। कमीशन ने इस रिपोर्ट में माना कि ये कामगार अमानवीय स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर है। इसके

[4] NCEUS, 2007, 'Report on Condition of Work and Promotion of Livelihood in the Unorganized Sector', NCEUS, Government of India.

बावजूद भी उन्हें काम की सुरक्षा, सुविधायें या सम्मान नहीं मिलता है। कमीशन के अनुसार इन मजदूरों को कामगार का दर्जा न दिया जाना ही इनकी विभिन्न समस्याओं की जड़ है[5]।

कमीशन ने इस रिपोर्ट में सुझाव दिया कि सरकार तमाम अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ–साथ घरेलू कामगारों के हितों की रक्षा हेतु एक समावेशी कानून बनाये। यह कानून इन मजदूरों की मजदूरी, काम करने की दशाओं और कामगार अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रभावी नियमनन एवं ढांचा तैयार करे। इसके अलावा कमीशन ने असंगठित मजदूरों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी कामगार कानूनों जैसे बंधुआ मजदूर निषेध, बाल श्रम निषेध, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत् जवाबदेह बनाने की सिफारिश की। अन्य तमाम प्रगतिशील आयोगों की रिपोर्ट की भांति इस रिपोर्ट के अधिकांश सिफारिशें भी लागू नहीं हो सकी। इन कामगारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु भी आयोग ने एक कानून प्रस्ताव किया था। इस प्रस्तावित कानून में कमीशन ने सरकार से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के स्वास्थ्य, मृत्यु व अपंगता बीमा तथा वृद्धावस्था पेंशन मुहैय्या करवाने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2008 में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा कानून, 2008 बनया। हालांकि इस कानून और कमीशन की सिफारिशों में अभी भी काफी अंतर है। बहुत सारी सिफारिशों को और जोड़े जाने की आवश्यकता है।

टास्क फोर्स ऑन डोमेस्टिक वर्कर, 2009

(Task Force on Domestic Worker, 2009)

यू0पी0ए0 सरकार के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2009 में घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य घरेलू कामगारों की स्थिति को सुधारने के लिए तात्कालिक एवं आवश्यक नियमनन हेतु सुझाव देना था। टास्क फोर्स ने वर्ष 2010 में अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें निम्नलिखित नियमनन् की शिफारिश की।

1. टास्क फोर्स ने घरेलू कामगारों को स्वस्थ्य, मातृत्व लाभ तथा मृत्यु या अपंगता बीमा जैसी कल्याणाकारी योजनाओं से जोड़ने की सिफारिश की। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ घरेलू कामगारों को भी देने का निर्णय लिया। हालांकि इन कामगारों का अन्य योजनाओं से जुड़ाव अभी भी अधूरा है।
2. टास्क फोर्स ने राज्य सरकारों से घरेलू कामगारों के न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने की सलाह दी। यह सलाह उन राज्य सरकारों को थी जिन्होंने तब तक इन कामगारों का न्यूनतम वेतन अधिसूचित नहीं किया था। केन्द्रीय सरकार ने जुलाई 2010 में इस आशय का पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजा।
3. टास्क फोर्स में घरेलू कामगारों को ग्रामीण क्षेत्रों से लाकर शहरों में नौकरी दिलवाने वाली प्लेसमेंट ऐजेंसियों या बिचौलियों का दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून, 1953 के तहत् अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने का सुझाव भी दिया था। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2010 में सभी राज्य सरकारों से प्लेसमेंट ऐजेंसियों एवं बिचौलियों का तद्नुसार पंजीकरण करवाने हेतु पत्र लिखा।
4. टास्क फोर्स ने घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति निर्माण का भी सुझाव दिया था। टास्क फोर्स के अनुसार ऐसी नीति इन कामगारों के कार्य की दशाओं के नियमनन, सामाजिक सुरक्षा तथा कौशल विकास जैसे मुद्दों पर केन्द्रित हो।

NCEUS, Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihood in the Unorganised Sector (2007), retrived from: http://nceuis.nic.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf

टास्क फोर्स तथा सरकार में तमाम मुद्दों को लेकर सहमति थी, इसलिए तत्कालीन सरकार ने अधिकतर सुझावों को मानते हुए कई कदम भी उठाये थे। हालांकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ऐसे नियमनन और नतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखने में यह आया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर लिए गये कई केन्द्रीय निर्णय आज भी राज्यों में लागू नहीं हो पाये।

अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन संख्या–189:

(International Labour Organisation Convention Number 189)

वर्ष 2011 में भारत सरकार ने अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के 'घरेलू कामगार कन्वेंशन (कन्वेंशन संख्या 189)' पर हस्ताक्षर कर भारत में उनकी कार्य दशाओं में सुधार करने का वादा किया। कन्वेंशन दस्तावेज के अनुसार घरेलू कामगारों को वैश्विक स्तर पर सम्मान देने की आवश्यकता है क्योंकि उनके योगदान को जबरन कम आंका जाता है। यही कारण है कि वे तमाम प्रकार के शोषण एवं भेद–भाव के शिकार होते हैं। इन कामगारों को सम्मान देने के लिए यह कन्वेंशन अपने सदस्य देशों को एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यह ढांचा इन मजदूरों के कामगार अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा मानवाधिकार के संरक्षण हेतु दिशा निर्देश तथा व्यवस्थाओं के विकास का खाका तैयार करता है। यह कन्वेंशन अपने सदस्य देशों से अपेक्षा करता है कि वे घरेलू कर्मकारों को मजदूरों का दर्जा देकर उनके हितों की रक्षा करे। घरेलू कर्मकारों को सम्मान जनक रोजगार प्रदान करने हेतु यह कन्वेंशन इनके कार्य की दशाओं के नियमनन, न्यूनतम मजदूरी, कार्य का समय, ओवर टाईम, साप्ताहिक एवं दैनिक छुट्टी एवं आराम तथा भुगतान युक्त वार्षिक छुट्टियों की वकालत करता है। भारत सहित सभी दक्षिण एशियाई देशों ने इस कन्वेंशन पर निर्विवाद रूप से हस्ताक्षर किये हैं। अभी इस कन्वेंशन को छः साल से अधिक हो गया है, लेकिन आई0एल0ओ0 में किये गये वादों पर देश में अभी कोई भी प्रगति नहीं हुई है।

नेशनल पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, 2011

(Draft National Policy on Domestic Workers, 2001)

वर्ष 2009 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन बने टास्क फोर्स का कार्यकाल 2010 में बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। टास्क फोर्स में वर्ष 2011 में अपनी अंतिम रिपोर्ट में घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। इस प्रस्तावित नीति में निम्नलिखित मुद्दे सम्मलित थे।

1. **घरेलू मजदूरों को कामगार का दर्जा** – टास्क फोर्स द्वारा तैयार राष्ट्रीय नीति के मसविदे में घरेलू कामगारों के भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान पर जोर देते हुए उन्हें विधिवत कामगार का दर्जा दिये जाने की वकालत की। मसविदे के अनुसार इन कामगारों के साथ होने वाले अन्याय, भेद–भाव व शोषण के पीछे इनके काम तथा काम की दशाओं का नियमनन न करना भी महत्वपूर्ण कारक हैं।

2. **घरेलू कामगारों को भारतीय श्रम कानूनों के अधीन लाना–** प्रस्तावित नीति में टास्क फोर्स ने इन कामगारों को तमाम भारतीय श्रम कानूनों से आच्छादित करने का प्रस्ताव रखा। यह मानते हुए कि अभी प्रचलित श्रम कानून शायद घरेलू कामगारों की सभी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हो ऐसे में इस क्षेत्र हेतु एक अतिरिक्त कानून बनाया जाय जो इन कामगारों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके कामगार हितों की रक्षा करे।

3. **मौजूदा श्रम कानूनों में बदलाव** – मसविदे के अनुसार श्रम कानून जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविध अधिनियम, 1961, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में यथा उचित संशोधन कर घरेलू कामगारों को इनका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए।

टास्क फोर्स द्वारा तैयार इस राष्ट्रीय नीति के मसविदे को वर्ष 2011 में केबिनेट के पास भेजा गया। केबिनेट ने इसे सचिव स्तरीय एक कमेटी को भेजा। इसके बाद सरकार ने इस प्रस्तावित नीति पर राज्य सरकारों की सलाह भी आमंत्रित की। वर्ष 2014 में इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक नया समविदा तैयार किया गया, जिसे केबिनेट ने 20 जनवरी 2014 को एक मंत्रीमंडलीय समूह को भेज दिया था। दिसम्बर 2014 में सरकार ने संसद को अवगत कराया कि मई 2014 में नई सरकार के गठन के बाद वह मंत्रीमंडलीय समूह भंग कर दी गई हैं[6]। हालांकि सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार इस मसौदे पर अभी भी काम कर रही है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
(Unorganised Worker's Social Security Act, 2008)

'असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008', असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में तत्कालीन राष्ट्रीय सलाहकार समिति तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों तथा व्यवसायों के लिए बनाये गये कमीशन एन0सी0ई0यू0एस0 के अनेक सुझावों को सम्मलित किया गया। भारत में यह पहला कानून है जो घरेलू कामगारों को भी अच्छादित करता है। यह कानून केन्द्र तथा राज्य सरकारों से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनायें बनाने की अपेक्षा करता है। यह अधिनियम अपेक्षा रखता है कि केन्द्र सरकार इन कामगारों के लिए मृत्यु एवं दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुविधायें तथा वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का संचालन करे। इसके अलावा राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भविष्य निधि, दुर्घटना छतिपूर्ति, आवास, बच्चों के लिए शिक्षा, वृद्धाश्रम एवं कामगारों के लिए कौशल विकास संबंधी योजनायें संचालित करे। इसके अलावा यह अधिनियम केन्द्र तथा राज्य स्तर पर इस कानून के संचालन तथा परामर्श हेतु सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना भी करता है। अभी इस अधिनियम के तहत् केन्द्र पोषित निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा की योजनायें अधिसूचित हैं।

1. इंन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
3. जननी सुरक्षा योजना
4. हैंडलूम वीवरर्स कॉम्प्रहेन्सिव वेलफेयर योजना
5. हैंडीक्राफ्ट आर्टीजन कॉम्प्रहेन्सिव वेलफेयर योजना
6. पैंशन टू मास्टर क्राफ्ट पर्सनस योजना
7. नैशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमेन एण्ड ट्रेनिंग एण्ड एक्सटेंसन
8. आम आदमी बीमा योजना
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

---
[6] Rajya Sabha, Unstarred Question No. 3135, Answered on 14th December 2016

भले ही यह अधिनियम अपने आप में एक प्रगतिशील प्रयोग है, लेकिन यह करोड़ों असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में कारगर नही है। टी0एस0 शंकरन (2009) के अनुसार भले ही यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा का दावा करता है लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सिर्फ कुछ चुनिन्दा कल्याणकारी योजनाओं को अधिसूचित करता है। NSSO के वर्ष 2011–12 के आंकड़ों के हिसाब से देश में कुल 436 मिलियन असंगठित कामगार है, जो भारत की कार्यशील जनसंख्या का 91.78 प्रतिशत है। इतने बड़े समूह के लिए यह योजनायें निसंदेह नाकाफी हैं। यह अधिनियम भले ही अलग–अलग प्रकार की योजनायें संचालित करने की अपेक्षा रखता है लेकिन आज तक भी सिवाय कुछ पूर्व से ही संचालित योजनाओं को अधिसूचित करने के अलावा नयी और अधिनियम की आवश्यकता अनुसार योजनायें विकसित करने का कोई प्रयास भी नहीं हुआ है। अधिसूचित योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भी इन योजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन में भी कोई खास फर्क नहीं देखा गया। आई0एम0एफ0आर0 ने भी 2013 में इस कानून के अंतर्गत आने वाली कुछ योजनाओं का मूल्यांकन किया था। अपने मूल्यांकन में संस्था ने पाया कि इन योजनाओं को संचालित करने के लिए कोई एक विभाग/सरकार जिम्मेदार नहीं हैं[7]। इनके संचालन संबंधी विभिन्न जिम्मेदारियों को राज्य तथा केन्द्र सरकार के तमाम संस्थानों व विभागों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन के दौरान यह भी पाया गया कि इन सभी विभागों/सरकारों में आपसी तालमेल की भी खासी कमी है।

प्राईवेट मेम्बर बिलः

घरेलू कामगारों की स्थिति को लेकर होने वाले संघर्षों तथ अध्ययनों का एक असर यह भी रहा कि आजादी के बाद से आज तक विभिन्न राजनैतिक दलों के सांसदों ने संसद में तमाम प्राईवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत किये। हमने आपने अध्ययन में ऐसे 16 बिलों की पहचान की जो अलग–अलग समय में सासंदों ने घरेलू कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद में प्रस्तुत किये। हालांकि इनमें से किसी भी बिल को पास नहीं किया गया। इन सभी बिलों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

क्र. सं.	प्राईवेट मेम्बर बिल का नाम	प्रस्तुतकर्ता एवं राजनैतिक संबंद्धता	प्रस्तुत करने का वर्ष एवं सदन	बिल में प्रस्तावित प्रमुख प्राविधान
1	अखिल भारतीय घरेलू नौकर अधिनियम, 1959[8]	श्री कन्हैया लाल बालमिकी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)	1959 लोकसभा	• 18 वर्ष से कम कामगारों को 30रू0 प्रति माह तथा उससे अधिक वर्ष के कामगारों के लिए 40 रू0 प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन • अधिकतम 10 घंटे का कार्य दिवस • मजदूरी का भुगतान दूसरे माह के पहले सात दिन के भीतर हो तथा काम छोड़ने की स्थिति
2	घरेलू कामगार (स्थिति एवं	श्री पी0एन0 राजभोज	1959 राज्यसभा	

[7] IFMR, 2013, ‘Comprehensive Social Security for the Indian Unorganised Sector: Recommendations on Design and Implementation’, IFMR Finance Foundation and IFMR Research- Centre for Microfinance, India
[8] Armacost Nicola Cunningham, 1994, ‘Domestic Workers in India: A Case for Legislative Action’, Journal of the Indian Law Institute, Vol 36: I

	रोजगार) विधेयक, 1959[9]			में बकाया भुगतान अगले तीन दिन के भीतर हो। • सप्ताह में एक दिन का अवकाश, 15 दिन की वार्षिक छुट्टी तथा वर्ष भर में 12 कैज्वल अवकाश • स्थानीय पुलिस थाने में घरेलू नौकरों के पंजीकरण की व्यवस्था • अपनी जिम्मेदारियों को न निभाने वाले नियोक्ता पर अधिकतम 25 रूपये का आर्थिक दंड
3	घरेलू कामगार (रोजगार की स्थिति) विधियेक, 1972	श्री हुकम चंद कचवई (भारतीय जन संघ)	1972 लोकसभा	• 8 घंटे का कार्य दिवस तथा वर्ष भर में 12 कैज्वल और 21 सिक अवकाश • सप्ताह में एक पूरे दिन का अवकाश तथा न्यूनतम मजदूरी • नौकरी से निकालने से पहले कम से कम दो माह का नोटिस देना अनिवार्य। • नियमानुसार ग्रैच्यूटी का भुगतान • इसके अलावा यह विधेयक घरेलू कामगारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत् सुरक्षा प्रदान करने का भी पस्ताव करता है। (Source: Armacost, 1994)
4	घरेलू कामगार (रोजगार की स्थिति) विधियेक, 1977	श्री हुकम चंद कचवई (भारतीय जन संघ)	1977 लोकसभा	
5	घरेलू कामगार (रोजगार की स्थिति) विधियेक, 1989	श्री थम्पन थॉमस (जनता पार्टी)	1989 राज्यसभा	
6	घरेलू कामगार (रोजगार की स्थिति) विधियेक, 1989	श्री बापू कलदाते (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)	1989 राज्यसभा	
7	घरेलू कामगार (रोजगार की स्थिति) विधियेक, 1990	श्री हरीश रावत (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)	1990 लोकसभा	
8	घरेलू कामगार (रोजगार की स्थिति) विधियेक, 1990	श्री बापू कलदाते (जनता दल)	1990 राज्यसभा	
9	घरेलू कामगार	श्री मोहन सिंह	2008	

[9] Armacost Nicola Cunningham, 1994, 'Domestic Workers in India: A Case for Legislative Action', Journal of the Indian Law Institute, Vol 36: I

	(रोजगार की स्थिति) विधियेक, 2008[10]	(भारतीय जनता पार्टी)	लोकसभा	
10	घरेलू कामगार (रोजगार की स्थिति) विधियेक, 2009[11]	श्री अर्जुन मेघवाल (भारतीय जनता पार्टी)	2009 लोकसभा	
11	हाऊस मेड एवं घरेलू नौकर (सेवाओं की स्थिति तथा कल्याण) विधेयक, 2004[12]	श्रीमती प्रेमा करियप्पा (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)	2004 राज्यसभा	• घरेलू कामगारों का आवश्यक पंजीकरण तथा केवल पंजीकृत कामगारों को ही काम पर रखने का प्राविधान • इसके अलावा यह बिल कामगारों के कार्य की दशाओं तथा वेतन की सुरक्षा का भी प्रस्ताव रखता है।
12	घरेलू कर्मकार (कल्याण और नियोजन का विनियमन) विधेयक, 2015[13]	श्री भर्तृहरि महताब (बीजू जनता दल)	2015 लोकसभा	• घरेलू कामगारों को किसी अन्य मजदूर की भांति ही काम के घंटे, अवकाश, पेंशन एवं कार्य करने की दशायें मुहैय्या हो। • घरेलू कामगारों को नौकरी दिलवाने वाली प्लेसमेंट ऐजेंसियों का पंजीकरण हो तथा ऐसी एजेंसियां समय–समय पर सरकार को उनके द्वारा रोजगार पर रखे गये घरेलू कामगारों की विस्तृत जानकारी दे। • प्लेसमेंट ऐजेसिंयो को नई पैंशन योजना या उसके समकक्ष किसी भी योजना में पंजीकृत किया जाय ताकि वे घरेलू कामगारों को पैंशन संबंधी सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके। • घरेलू कामगारों तथा उनके नियोक्ता के बीच रोजगार का लिखित अनुबन्ध हो तथा हर ऐसे अनुबन्ध का आवश्यक रूप से पंजीकरण हो।
13	घरेलू कर्मकार (शिष्ट कार्य	डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई	2015 लोकसभा	• यह विधेयक कामगारों तथा नियोक्तओं के बीच के व्यवसाहिक संबंधों की विवेचना करने

[10] Lok Sabha, 2008, The Domestic Workers (Condition of Service) Bill, 2008 (Bill 16 of 2008), A private member bill introduced by Mr. Mohan Singh, retrieved from: http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/320ls-20.pdf

[11] Lok Sabha, 2009, The Domestic Workers (Condition of Service) Bill, 2009 (Bill 88 of 2009), A private member bill introduced by Mr. Arjun Meghwal, retrieved from: http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/4084LS.pdf

[12] Rajya Sabha, 2004, The Housemaid and Domestic Servent (Condition of Service and Welfare) Bill, 2004 (XXXV of 2009), introduced by Ms. Prema Cariappa, retrieved from: http://nidan.in/nidanwp/wp-content/uploads/2014/07/The-HouseMaids-and-Domestic-Workers-Conditions-of-Service-and-Welfare-Bill-2004.pdf

[13] The Domestic Workers (Welfare and Regulation of Employment) Bill, 2015, introduced in the Lok Sabha by Mr. Bharatruhari Mehtab on 27th February 2015, Bill no. 21 of 2015, retrieved from: http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/4204LS.pdf

	दशाएं) विधेयक, 2015[14]	सोलंकी (भारतीय जनता पार्टी)		के साथ–साथ इन कामगारों के कार्य दशाओं के विनियमन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ● यह विधेयक न सिर्फ रोजगार अनुबन्ध की आवश्यकता का समर्थन करता है बल्कि उस अनुबन्ध में क्या–क्या लिखा जाय यह भी प्रस्ताव करता है। यह विधेयक नियोक्ता से अपेक्षा करता है कि वे रोजगार अनुबन्ध बनाते समय विधिनुसार काम के घंटे, मजदूरी, ओवर टाईम, अवकाश की सुविधायें आदि का जिक्र करें। ● यह विधेयक घरेलू कामगारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन लाने की भी शिफारिश करता है।
14	घरेलू कर्मकार कल्याण विधेयक, 2016[15]	डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)	2016 लोकसभा	● विधेयक घरेलू कामगारों तथा प्लेसमेंट ऐजेंसियों के पंजीकरण का प्रविधान प्रस्तवित करता है। ● यह विधेयक कामगारों के रोजगार अनुबन्ध के पंजीकरण को भी अनिवर्य करने का प्रस्ताव करता है। ● कामगारों के शिकायतों के निवारण तथा कानून के संचालन की देख–रेख के लिए यह विधेयक जिला स्तरीय बोर्ड के गठन का प्रस्ताव करता है। ● यह विधेयक घरेलू कामगारों को निम्न मजदूर कानूनों के अंतर्गत लाकर उनके हितों की सुरक्षा का प्रस्ताव करता है। ○ कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, अंतर–राज्य प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1979, मजदूरी का संदाय अधिनियम, 1936, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, उपदान का संदाय अधिनियम,

[14] The Domestic Workers (Decent Working Conditions) Bill, 2015, Introduced in the Lok Sabha by Dr. Kirit Premjibhai Solanki on 13 March 2015, Bill no. 54 of 2015, retrieved from: http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/4754LS.pdf

[15] The Domestic Workers' Welfare Bill, 2016, Introduced in the Lok Sabha by Mr. Shashi Tharoor on 5th August 2016, (Bill no 204 of 2016), retrieved from. http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/1573.pdf

				1972 और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
15	घरेलू कर्मकार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2017[16]	ऑस्कर फर्नांडिस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)	2017 राज्यसभा	• यह विधेयक घरेलू कामगारों, नियोक्ताओं तथा प्लेसमेंट ऐजेंसियों का पंजीकरण जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से करवाने का प्रस्ताव करता है। • यह विधेयक कामगारों के कार्य दशाओं जैसे काम के घंटे, अवकाश, आराम, वेतन, व्यावसाहिक स्वास्थ्य तथा ओवरटाईम इत्यादि को विधि अनुसार रेगुलेट करने का प्राविधान प्रस्तुत करता है। • यह विधेयक नियोक्तओं तथा प्लेसमेंट ऐजेंसियों की जिम्मेदारियों का भी खाका तैयार करता है। • यह विधेयक इन कामगारों के गांवों से शहरों या एक राज्य से दूसरे राज्य तक काम की खोज में पलायन से उपजने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय बोर्डों के गठन का प्राविधान प्रस्तुत करता है। • यह विधेयक घरेलू कामगारों को सभी मजदूर कानूनों के तहत् हक प्रदान करने का प्रस्ताव रखता है।
16	घरेलू कर्मकार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2017[17]	श्री शंकर प्रसाद सी0पी0आई0 (एम0)	2017 लोकसभा	

उपरोक्त प्रोईवेट मेंम्बर विधेयकों में दर्ज प्राविधानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये सभी विधेयक इन कामगारों की विशेष प्रस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ होने वाले अत्याचारों, भेद–भाव तथा शोषण को खत्म करने की दिशा में उठाये गये महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि इनमें से कोई भी बिल आजतक संसद में पास नहीं हो पाया। इन विधेयकों से यह बात भी स्पष्ट होती है कि समय के साथ–साथ इन कामगारों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदला है। जहां एक ओर शुरूआती विधेयक घरेलू कामगारों के तात्कालिक परेशनियों से निजात दिलाने के लिए विनियमन पर जोर देते रहे वहीं दूसरी ओर हाल ही में प्रस्तुत किये गये कई विधेयकों में उनके काम करने के मौलिक अधिकार तथा सम्मानित कार्य करने के लिए आवश्यक मानवाधिकार एवं मजदूर हितों पर जोर दिया गया।

---

[16] The Domestic Workers (Regulation of Work and Social Security) Bill, 2017, introduced in the Rajya Sabha by Mr. Oscar Fernandes on 7th April 2017, retrieved from: http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/Asintroduced/domestic-7417-E.pdf

[17] The Domestic Workers (Regulation of Work and Social Security) Bill, 2017, introduced in the Lok Sabha on 21st July 2017, retrieved from: http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/695LS%20AS.pdf

भाग–3
राज्य स्तरीय नीतियां

श्रमिक तथा उससे जुड़े विषय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मलित है, ऐसे में राज्य सरकारें भी श्रम तथा श्रमिकों से जुड़े नीतियों के निर्धारण तथा उनके परिचालन में अहम भूमिका अदा करती हैं। घरेलू कामगारों के संबंध में हालांकि किसी भी राज्य में कोई व्यापक नीतिगत ढांचा नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ छिट–पुट प्रयास किये गये हैं। उन्हीं प्रयासों में से कुछ चुनिन्दा प्रयासों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है।

महाराष्ट्र घरेलू कर्मकार कल्याण बोर्ड अधिनियम, 2008

वर्ष 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने उपरोक्त अधिनियम के तहत् राज्य के हर जिले में जिला स्तरीय बोर्डों के गठन की मंजूरी दी। इन बोर्डों का मुख्य कार्य घरेलू कामगारों का पंजीकरण करवाना तथा उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना है। आधिनियम इन बोर्डों को निम्नलिखित योजनायें संचालित करने हेतु गठित करने का प्राविधान करता है[18]।

1. दुर्घटना होने पर घरेलू कामगार को त्वरित सहायता प्रदान करना।
2. पात्र घरेलू कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
3. पात्र घरेलू कामगारों या उस पर निर्भर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य व्यय हेतु आर्थिक मदद
4. पात्र महिला कामगारों को मातृत्व लाभ प्रदान करना।
5. कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

सुचिता कृष्णप्रसाद ने वर्ष 2015 में अपने एक अध्ययन में पाया कि महाराष्ट्र में इन जिला स्तरीय बोर्डों ने वर्ष 2011 में घरेलू कामगारों का पंजीकरण शुरू किया, और वर्ष 2015 तक कुल पचास हजार कर्मकारों का पंजीकरण हुआ[19]।

तमिलनाडु घरेलू कर्मकार कल्याण बोर्ड

उच्चतम न्यायलय के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2007 में 'तमिलनाडु मैन्अल वकर्स (रेगुलेशन ऑफ इम्पालॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ वर्क) अधिनियम, 1982' के तहत् घरेलू कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया। राज्य में अलग–अलग प्रकार के कामगारों के लिए ऐसे 16 अन्य बोर्ड गठित हैं जो इन असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनायें संचालित करते हैं। ये बोर्ड घरेलू कामगारों के लिए दुर्घटना या मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता, अंतिम संस्कार हेतु सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक प्रोत्साहन, बच्चों की शादी के लिए आर्थिक मदद तथा मातृत्व लाभ जैसी योजनायें संचालित कर रहे हैं।

---

[18] The Maharashtra Domestic Workers Welfare Board Act, 2008, MAH 1 of 2009, Department of Labour, Government of Maharashtra, retrieved from: https://mahakamgar.maharashtra.gov.in/images/dcl/pdf/maharashtra-domestic-workers-welfare-board-act-2008.pdf

[19] Krishnaprasad, Suchita, 2015, 'Mapping and Assessment of Labour Administration and Social Dialogue in Maharashtra', VVGNLI-ILO National Tripartite Seminar, October 13, 2015, New Delhi, retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/presentation/wcms_420564.pdf

दिल्ली में प्लेसमेंट ऐजेंसियों का पंजीकरण

वर्ष 2014 मे दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने एक आदेश जारी कर दिल्ली में अपनी सेवायें दे रहे सभी प्राईवेट प्लेसमेंट एजेंसियों को तुरंत पंजीकरण करने को कहा। सरकार द्वारा जारी 'दिल्ली प्राईवेट प्लेसमेंट ऐजेंसी (रेगुलेशन) ऑडर, 2014 के अनुसार ऐसी सभी ऐजेंसियों को दुकान तथा प्रतिष्ठन अधिनियम, 1954 तथा अंतर–राज्य प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत राज्य के श्रम विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इस आदेश के जरिये राज्य सरकार प्लेसमेंट ऐजेंसियों के जरिये घरेलू कामगारों के निम्नलिखित दो बुनियादी हितों की भी रक्षा करने का प्रयास करती है।

1. **रोजगार अनुबंध का लिखित दस्तावेजीकरण–** यह आदेश अपेक्षा करता है कि पंजीकृत प्लेसमेंट ऐजेंसियां हर घरेलू कामगार का लिखित रोजगार अनुबंध तैयार करे।

2. **पासबुक–** यह आदेश यह भी अपेक्षा करता है कि प्लेसमेंट एजेंसी हर कामगार को एक पासबुक जारी करे जो उसके वास्तविक नियोक्ता द्वारा भी प्रमाणित हो। पासबुक में कामगार की विस्तृत जानकारी, नियोक्ता का नाम, पता, रोजगार की प्रस्तावित अवधि, तय मजदूरी तथा भुगतान की विधि आदि जानकारी सम्मलित हो।

चूंकि यह आदेश एक अधिशासी दस्तावेज है और कानून नहीं है, ऐसे में इस आदेश का पालन करने की संभावनाओं पर संदेह है।

घरेलू कामगारों का न्यूनतम मानदेय

अभी हाल के कुछ वर्षों में कुछ राज्यों ने घरेलू कामगारों को 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' के तहत् अधिसूचित किया है। कर्नाटक ने सबसे पहले वर्ष 2004 में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की। इसके बाद वर्ष 2007 में बिहार, आन्ध्र प्रदेश, 2008 में राजस्थान, 2010 में केरल तथा झारखण्ड और उड़ीसा ने वर्ष 2012 में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की। महाराष्ट्र, असम तथा तमिलनाडु ने भी घरेलू कामगारों को अधिसूचित किया है लेकिन अभी तक न्यूनतम मजदूरी तय नहीं किया (नीथा, 2013)।

निष्कर्ष

भारत में घरेलू कामगारों की कार्य करने की दशायें अत्यंत ही असुरक्षित है। इन्हीं असुरक्षा के चलते इन कामगारों के साथ शोषण, अन्याय तथा अत्याचार आये दिन होता है। बावजूद इसके घरेलू कार्य खासतौर से महिलाओं के लिए शहरों में एक तेजी से बढ़ता हुआ रोजगार क्षेत्र है। लाखों की संख्या में महिलायें उपेक्षित ग्रामीण इलाकों से आकर शहरों में घरेलू कार्य से अपनी आजीविका चला रहे हैं। यह इन कामगारों की विवशता ही है कि वे हर प्रकार से असुरक्षित होने के बाद भी घरेलू कार्य में संलिप्त हैं। आजादी के बाद से तमाम नीतिगत दस्तवेजों में घरेलू कामगारों की दयनीय कार्य दशाओं का उल्लेख हुआ। अधिकतर नीतिगत प्रस्तावों में इन दशाओं का नियमनन करने का भी अनुरोध किया लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी इन्हें कामगार का दर्जा नहीं मिल पाया। कई नीतिगत प्रस्तावों/दस्तावेजों ने तो इन कामगारों के उत्पीड़न, शोषण तथा अन्याय लिए कारगर नीति/नियमनन का अभाव को ही जिम्मेदार ठहराया है। आज तक इन कामगारों की कार्य दशाओं तथा उससे उपजने वाली समस्याओं के संबंध में तमाम स्तरों पर विवेकपूर्ण विमर्श हुआ है। इस विमर्श की सार्थकता तब ही होगी जब भारत इन कामगारों को उनके बुनियादी हक मुह्या करवायेगा।

References:

Rao G Shivaji, 2003, 'India: The Report of the Second Indian National Labour Commission-2002-An Overview', Mondaq Ltd, March 05, 2013, retrieved from: http://www.mondaq.com/india/x/20167/employee+rights+labour+relations/The+Report+Of+The+Second+Indian+National+Labour+Commission2002++An+Overview

Armacost Nicola Cunningham, 1994, 'Domestic Workers in India: A Case for Legislative Action', Journal of the Indian Law Institute, Vol 36: I

Krishnaprasad, Suchita, 2015, 'Mapping and Assessment of Labour Administration and Social Dialogue in Maharashtra', VVGNLI-ILO National Tripartite Seminar, October 13, 2015, New Delhi, retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/presentation/wcms_420564.pdf

Neetha N, Minimum Wages for Domestic Work: Mirroring Devalued Housework, Review of Women's Studies, Economic & Political Weekly, VOL XLVIII No 43, October 26, 2013, retrieved from: http://www.epw.in/system/files/pdf/2013_48/43/Minimum_Wages_for_Domestic_Work.pdf

IFMR, 2013, 'Comprehensive Social Security for the Indian Unorganised Sector: Recommendations on Design and Implementation', IFMR Finance Foundation and IFMR Research- Centre for Microfinance, India

Sankaran T.S., 2009, 'A Critique of Idnia's Unorgansed Workers' Social Security Act, 2008', South Asia Citizen Web, 16th February 2009, retrieved from: http://www.sacw.net/article658.html

MoLE, 2011, 'Final Report of the Task Force on Domestic Workers: Realising Decent Work', September 12, 2011, Director General Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

Srija A. and Shrinivas V. Shirke, 2014, 'An Analysis of the Informal Labour Market in India', confederation of Indian Industry, September-October, 2014.

Global March Against Child Labour, 2014, 'Economics Behind Forced Labour Trafficking, December 2014, Also Available at: http://globalmarch.org/images/Economic-Behind-Forced-Labour-Trafficking.pdf Accessed on: 27th May, 2015

Neha Dixit, 2008, 'The Nowhere Children', Tehelka, Vol 5, Issue 43, Dated Nov 01, 2008, Also Available at:http://archive.tehelka.com/story_main40.asp?filename=Ne011108cover_story.asp Accessed on: 28th May 2015

John Maya, 2017, 'Quasi-magisterial Power of 'Madams': An Insight into the Noida Case', Economic & Political Weekly, JULY 29, 2017 vol LII no 30